

हम भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त उपबंधों का पालन करने में मेरे /हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी के लिये यह सम्मत होगा कि वह उपरोक्त कथितवितरणसंहिता के निबन्धनों के अनुसार आपूर्ति को रोक

[घ] मैं /हम आगे यह घोषणा करता हूँ /करते हैं कि अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति में किसी विघ्न /कमी के ऐसे कारणों के लिए जो उसके नियन्त्रण से परे उत्तरादायी नहीं ठहराया जायेगा।

ड] मैं/ हम यह समझता हूँ / समझते हैं कि यह घोषणा पत्र दो वर्ष पश्चात इस संहितामें क्षर्णितप्रक्रिया के अनुसार किसी भी पक्षकार द्वारा नोटिस देकर रद्द की जा सकती हैं

च] जमा योजना सामान्य योजना लघु सिंचाई अथवा अन्य किसी योजना के अर्न्तगत संयोजन प्राप्त करने पर नया परिवर्तक स्थापित किया जाता है अथवा पूर्व से ही स्थापित है लेकिन अधिभारित नहीं हैऐसी दशा में उसी परिवर्तक से उ०प्र० पावर कार्पो०नि०लि० द्वारा किसी दूसरें उपभोक्ता को संयोजन प्रदान किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्तिनही हागी।

छ]उपरोक्त कारणोवश यदि संयोजन का स्थाई विद्युत विच्छेदन मेरे द्वारा कराया जाता है तो संयोजन में प्रयोग होने वाली निगम की सामग्री जिसका पैसा उ०प्र०पा०कार्पो०नि०लि० के खाते में पूर्व से ही जमा है सामग्री के मूल्य का किसी भी दशा में मेरे द्वारा प्राप्त करने का दावा नहीं किया जाएगा तथा उस सामग्री पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा।

[ज]उपभोक्ता को पूर्व में स्थापित परिवर्तक से एल०टी०लाइन पर निजी नलकूप संयोजन प्रदान किया जाता है लेकिन उपभोक्ता उस परिवर्तक से संयोजन नहीं लेना चाहता है ऐसीपरिस्थिति में उपभोक्ता को नये परिवर्तक हेतु छूट के अतिरिक्त निगम द्वारा निधारित की राशि उपभोक्ता को जमा करना होगा जिसके लिए उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

[झ]मैं /हम घोषणा करता /करती हूँ कि विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के उपरान्त यदि अगले माह तक विद्युत बिल प्राप्त नहीं होता है तो हमारी स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि अगले माह आगामी माहों में खण्डीय कार्यालय विद्युत वितरण खण्डरायबरेली से बिल प्राप्त करूंगा/करता रहूंगा तथा उसका भुगतान ससमय करूंगा/करता रहूंगा।

[ञ]मैं/ हम आगे इस बात पर सहमत है कि मेरे /हमारे द्वारा दिये गये घोषणा पत्र को अनुज्ञप्तिधारी के साथ किये गये उपरोक्त आशय के किसी अनुबन्ध की तरह समझा जायेगा।

[ट]मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे / हमारे ज्ञान में सत्य हैं। यदि कोई सूचना किसी वाद दिनोंक पर गलत पाई जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति रोक देने / काट देने जैसी स्थिति होने का अधिकार होगा।

[ठ]मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरण से कोई अनधिकृत परिवर्धन / परिवर्तन या चोरी या दुर्विनियोग या मीटर को छेड़ते हुए या उससे कोई छेड़छाड़ा न हो । दूसरे शब्दों में मेरे /हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मुझे /हमको उपलब्ध कराई गई ऊर्जा को विधिसम्मत और प्राधिकरपूर्ण उपयोग किया जाये । उस दशा में जबकि अनुज्ञप्तिधारी के पास यह समझने या आशंका करने का युक्तिमुक्त आधार हो कि उपकरण में अप्राधिकृत परिवर्धन /परिवर्तन चाहे वह कैसा भी क्यों न हो किया गया है या दुर्विनियोग या ऊर्जा का उपयोग या मीटर से छेड़ते हुये विद्युत का प्रयोग किया जा रहा या उससे छेड़छाड़ की गयी है ते अनुज्ञप्तिधारी का कोई परामिहित प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह उपकरण मीटर और वायरिंग आदि के सामान्य निरीक्षण और परीक्षण के लिए परिसर में प्रवेश कर सके।

[ड] मैं वचन देता हूँ कि जब कभी परिवार जिसके लिए विद्युत कनेक्शन लिया जा रहा खाली करना है तो अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत वितरण संहिता में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सूचित करूंगा।

दिनोंक :

गवाहों के

अधिशाखा अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय
- रायबरेली

राम सुभद्र

आवेदक के हस्ताक्षर

परमेश्वर रामाजी
डिप्टी म: वेड्डर - मस्तिष्क 21/12/1